पश्चिमी और मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी

स्पैक्ट फाउंडेशन

परिसीमन और मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी

परिसीमन के मुद्दे की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि अधिकतर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। आम जनता तो इस शब्द को पहली बार सुनती है। परिसीमन के बारें में कहा जाता कि पढ़े लिखों के बीच का मुद्दा है इसको आम लोग समझ ही नहीं सकते हैं मगर पिछले कुछ समय से मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी और परिसीमन के बारे में व्यापक तौर पर बातचीत शुरू हो चुकी है।

परिसीमन के तहत आरक्षित सीटों के गणित को अगर आसान शब्दों में समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर दलित और आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए और उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। जिसमें केवल दलित और आदिवासी समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं।

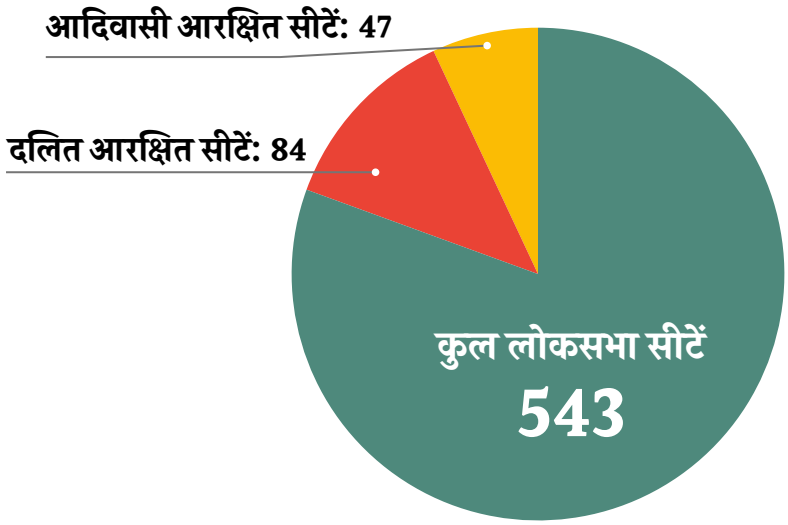

State	Total	SC	ST
Andhra Pradesh	175	23	05
Arunachal Pradesh	60	0	59
Assam	126	08	17
Bihar	243	38	02
Chhattisgarh	90	10	29
Delhi	70	12	00
Goa	40	01	00
Gujarat	182	13	26
Haryana	90	16	00
Himachal Pradesh	68	17	03
*Jammu and Kashmir	114	07	00
Jharkhand	81	10	22
Karnataka	224	36	15
Kerala	140	14	02
Madhya Pradesh	230	35	47
Maharashtra	288	29	25
Manipur	60	01	19
Meghalaya	60	00	55
Mizoram	40	00	39
Nagaland	60	00	04
Odisha	147	24	106
Puducherry	30	04	00
Punjab	117	33	00
Rajasthan	200	31	25
Sikkim	32	02	12
Tamil Nadu	234	44	02
Telangana	119	14	09
Tripura	60	10	20
Uttar Pradesh	403	85	00
Uttarakhand	70	13	02
West Bengal	294	66	16

मुस्लिम राजनीती कैसे प्रभावित होती है?

आप लोग भी सोचते होंगे कि इसमें मुसलमान एंगल कहां से आ गया है या फिर दलित आदिवासी आरक्षित सीटों से मुस्लिम राजनीती कैसे प्रभावित होती है? इस मुद्दे में मुसलमान एंगल किस तरीके से आया है। तो इसको समझने के लिए आप आरक्षण की बुनियाद को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आरक्षण में सिर्फ तीन धर्म के लोग ही शामिल हैं हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म। इसके अलावा दलित आरक्षण में से मुसलमान और ईसाइयों को धर्म की बुनियाद पर बाहर निकाल दिया।

अब होता असल खेल शुरू, क्योंकि मुसलमान दलित आरक्षण में शामिल नहीं है इसलिए जो भी सीट दलित आरक्षित होती है वहां पर मुसलमान का चुनाव जीतना तो दूर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है। मुसलमान उस सीट के चुनावी गुणा गणित से एकदम बाहर हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन सीटों पर मुस्लिम आबादी की कैलकुलेशन दलित आबादी से ज्यादा होती है या सीधा कह लीजिए कि देश में इस वक्त बहुत सारी ऐसी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और दलित आबादी बहुत कम इसके बावजूद वह सीटें आरक्षित है।

कुछ ऐसा ही मामला आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर है। वहां पर भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और आदिवासी आबादी कम है मगर उन सीटों को परिसीमन के नाम पर ST आरक्षित दिया गया है।

अब यहां पर एक मामला और आता है कि अगर आपको दलित या आदिवासी समुदाय के लिए सीट को रिजर्व ही करना है तो उन सीटों को करिए जहां पर दलित या आदिवासी आबादी बहुमत में है या ज्यादा गिनती में है और ऐसी सीटें बहुत सारी मौजूद भी हैं जहां पर दलित आबादी या आदिवासी आबादी बहुमत में होने के बावजूद भी उस सीट को जनरल कैटेगरी में रखा गया है।

तो ऐसे मामला देखने के बाद मुस्लिम समुदाय के दिल में यह बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा उनके साथ जान बूझ कर किया जाता है। राजनीतिक तौर पर पहले से ही हाशिये पर मौजूद मुस्लिम समुदाय मुस्लिम बहुल सीटों के दलित या आदिवासी आरक्षित होने पर चुनाव लड़ने से अपनी महरूमी और अपने साथ राजनीतिक अन्याय की भावना को महसूस करता है।

इस रिपोर्ट में परिसीमन के नाम पर मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी के खिलाफ हो रही साजिश को समझने की कोशिश करेंगे।

आखिरी बार कांग्रेस के शासन काल में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था जिसमें बहुत सारी मुस्लिम बहुल सीटों को दलित आरक्षित कर के मुस्लिम राजनीती को वहां से लगभग समाप्त कर दिया गया है। ये ऐसी सीटें थी जहां पर ऐसे चुनावी समीकरण थे जो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के चुनाव जीतने के लिए काफी थे और राजनीतिक तौर पर हाशिये पर धकेले गए मुस्लिम समुदाय को इन सीटों से आसानी से मुस्लिम सांसद मिल सकते थे।

देश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और दलित आबादी कम है इसके बावजूद उसे आरक्षित कर दिया गया है। इसके उल्ट कई सीटें ऐसी है जहां दलित आबादी बहुत ज्यादा है इसके बावजूद उन सीटों को जनरल कैटोगरी में रखा गया है। दलित आरक्षित सीट होने का मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहां मुसलमानों द्वारा चुनाव जीतना तो दूर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है।

सीटों के उदाहरण से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं।

रायबरेली

पहली सीट है रायबरेली, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की परंपरागत सीट माना जाता है। इसके जातीय समीकरण को देखेंगे तो इस सीट पर 30 फीसदी से ज्यादा दलित मतदाता हैं। यहां पर 12 फीसदी मुस्लिम मतदाता भी हैं। दलित बहुल सीट होने के बावजूद इसको परिसीमन के नाम पर आरक्षित न कर के जनरल सीट ही रखा गया है।

बहराइच

दूसरी तरफ जिस बहराइच लोकसभा सीट से 6 बार मुस्लिम सांसद रहा हो और जिले की 35 फीसदी की आबादी मुस्लिम हो उसे 2009 परिसीमन में दलित आरक्षित सीट घोषित कर दिया गया। जिसके बाद से यहाँ से मुस्लिम राजनीती (सांसदी के तौर पर) का लगभग खात्मा हो चुका है। इस सीट पर केवल 15.6 फीसदी दलित आबादी है फिर भी इस सीट को परिसीमन में आरक्षित किया गया है।